BIADA
BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in,Email- biada-gov@gov.in Phone: 0612-2675352/2675296/2675889

कार्यालय आदेश

सर्वश्री ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद में 10000 वर्गफीट भूमि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालन के लिए आवंटित है। उद्यमी द्वारा आवंटित भूमि पर उद्योग स्थापित नहीं किये जाने के कारण कार्यालय ज्ञापांक 5718 दिनांक 24.09.2014 से इकाई को आवंटित भूमि का भू–आवंटन रद्द कर दिया गया था। इकाई द्वारा भू–आवंटन रद्दीकरण के विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में अपीलवाद संख्या–46/2014 दायर किया गया। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपीलवाद में दिनांक 26.11.2018 को न्यायादेश पारित करते हुए इस शर्त्त के साथ इकाई का भू–आवंटन पुनर्बहाल किया गया कि उद्यमी को मो0 03.00 लाख रूपये का बैंक गारंटी प्राधिकार में समर्पित करना होगा तथा भू–आवंटन पुनर्बहाल करने के आदेश निर्गत की तिथि से चार माह के अन्दर इकाई में उद्योग स्थापित करना होगा।

माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में इकाई द्वारा मो0 03.00 रूपये का बैंक गारंटी तथा चार माह के अन्दर इकाई में उद्योग स्थापित कर लेने संबंधी शपथ पत्र प्राधिकार में समर्पित किया गया। तद्‌वलोक में इकाई का भू–आवंटन कार्यालय पत्रांक 3486/डी0 दिनांक 29.05.2019 से सशर्त्त पुनर्बहाल कर दिया गया। उद्यमी द्वारा दिनांक 07.06.2019 को आवेदन देकर इकाई के गठन परिवर्त्तन हेतु अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में उन्हें पत्रांक 1115/डी0 दिनांक 19.03.2020 से माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए उनके द्वारा समर्पित किये गये गठन परिवर्त्तन के अनुरोध को स्वीकृति योग्य नहीं होने संबंधी सूचना दी गयी।

माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सशर्त्त पुनर्बहाल किये गये भू–आवंटन के शर्त्तो का अनुपालन नहीं करने के कारण कार्यालय पत्रांक 1264/A/C दिनांक 13.04.2021 से इकाई द्वारा जमा किये गये मो0 03.00 लाख रूपये के बैंक गारंटी को प्राधिकार द्वारा जब्त करते हुए राशि अपने खाते में हस्तांतरण करा लिया गया। अद्यतन स्थलीय प्रतिवेदन के अनुसार इकाई द्वारा आवंटित स्थल पर किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि नहीं की जा रही थी। भू–आवंटन पुनर्बहाल होने के लगभग 02 वर्षो की अवधि से अधिक बीत जाने के उपरांत भी उद्यमी द्वारा आवंटित स्थल पर औद्योगिक गतिविधि प्रारंभ नहीं किया जाना भू–आवंटन की शर्त्तो के प्रतिकूल है एवं माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में बियाडा अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2) (a),(b) बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमो/प्रावधानों के तहत प्राधिकार द्वारा भूमि मद में जमा की गयी राशि को जब्त करते हुए सर्वश्री ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद को आवंटित Plot No. 14 & 15 रकवा 10000 वर्गफीट भूमि का भू–आवंटन रद्द किया जाता है।

रद्द किये गये भूमि पर भविष्य में सर्वश्री ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक का आदेश
(दिनांक 16.12.2021)
ह0/–
कार्यकारी निदेशक(मु0)।

ज्ञापांकः–4436/D
दिनांक 17/12/2021

प्रतिलिपिः– सर्वश्री ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साझेदार–श्रीमति विद्या सिन्हा, पति–स्व0 वीरेन्द्र शर्मा, ग्राम–सरौती, पोस्ट+थाना–रामपुर चौरम, जिला–अरवल, बिहार–804402/मुख्य लेखा पदाधिकारी/विधि पदाधिकारी/आई0टी0 शाखा/अमीन, बियाडा/क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

कार्यकारी निदेशक(मु0)।